


## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 588 / 2017 .....जिला.....जयपुर.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज -: 2 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20 / 04 / 2017	<p>उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकारते हुये अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 25.01.2017 द्वारा राशि रूपये 20,65,990/- की वसूली उनके समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण तक स्थगित की है तथा आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर स्थगित राशि की प्रतिभूति कर निर्धारण अधिकारी को उनकी संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन के पश्चात पाया कि प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, जिससे प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगित राशि रूपये 20,65,990/- की वसूली कार्यवाही को इस शर्त के साथ स्थगित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में उनके समक्ष लम्बित अपील का सुनवाई करते हुए गुणावगुणों पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।</p> <p style="text-align: center;">अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश प्रसारित किया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>(नत्थूराम)</i> (नत्थूराम) सदस्य</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p> (मदन लाल) सदस्य</p> </div> </div>	

**राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।**

अपील संख्या 588 / 2017.....जिला.....जयपुर.....

मैसर्स तोशीबा इण्डिया प्रा.लि., जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन प्रथम, जयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20.04.2017	<p align="center"><b>खण्डपीठ</b>  <b>श्री मदन लाल, सदस्य</b>  <b>श्री नत्थूराम, सदस्य</b></p> <p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री क्रांति मेहता एवं विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के. अजमेरा उपस्थित।</p> <p>यह अपील अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित बकाया मांग राशि 31,36,652/- में से राशि रूपये 20,65,990/- को एक वर्ष अथवा अपील निर्णय तक स्थगित किये जाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया गया एवं आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर स्थगित राशि की प्रतिभूति कर निर्धारण अधिकारी को उनकी संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी 15 दिवस के भीतर स्थगित राशि की प्रतिभूति उचित कारणों से प्रस्तुत करने में विफल रहा। तदनु रूप अपीलीय स्थगन आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस के पश्चात स्वतः ही निरस्त हो गया। अतः व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 38(4) सपटित धारा 83 के तहत पुनः स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन चाहा गया है।</p> <p>उभयपक्षों की बहस सुनी गई।</p> <p>विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 25.01.2017 द्वारा विवादास्पद बकाया मांग राशि 31,36,652/- में से राशि रूपये 20,65,990/- को एक वर्ष अथवा अपील निर्णय तक स्थगित किये जाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया गया एवं आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर स्थगित राशि की प्रतिभूति कर निर्धारण अधिकारी को उनकी संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, अपरिहार्य कारणों से व्यवहारी अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश की पालना में 15 दिवस के भीतर स्थगित राशि की प्रतिभूति कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने में विलम्ब हो गया। जिसकी वजह से स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त हो गया। अतः पुनः समस्त वसूलनीय राशि को स्थगित करने हेतु निवेदन किया।</p> <p>विभागीय प्रतिनिधि ने सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा निवेदन किया कि चूंकि अपीलार्थी 15 दिवस के भीतर स्थगित राशि की प्रतिभूति कर निर्धारण अधिकारी के संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने में विफल रहा है, अतः ऐसी स्थिति में अवधि बढ़ाया जाना अनुचित प्रतीत होता है। अतः उन्होंने वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया।</p>	

am

*(Handwritten signature)*

लगातार.....2